

न्यायालय:- अपर सत्र न्यायाधीश गोहद जिला भिण्ड म०प्र०

प्रकरण क्रमांक 115/09 एस०टी०

मध्य प्रदेश शासन द्वारा पुलिस थाना
मालनपुर जिला भिण्ड म०प्र०।

-----अभियोजन
बनाम

मुकेश पुत्र श्री रामकिशन जाटव उम्र 30 वर्ष
निवासी जलालपुर थाना पुरानी छावनी
जिला ग्वालियर म०प्र०।

.....अभियुक्त

न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी गोहद श्री मनीष शर्मा
के न्यायालय के मूल आपराधिक प्र०क्र० 96/2009 इ०फौ०
से उद्भूत यह सत्र प्रकरण क्र० 115/2009

शासन द्वारा अपर लोक अभियोजक श्री दीवान सिंह गुर्जर।
अभियुक्त द्वारा श्री अवधविहारी पाराशर अधिवक्ता

//नि र्ण य//

//आज दिनांक 25-09-2014 को घोषित किया गया//

01. अभियुक्त का विचारण धारा 377 भारतीय दण्ड विधान के अपराध के आरोप के संबंध में किया जा रहा है। उस पर आरोप है कि दिनांक 10.01.2009 को सुबह तीन बजे के लगभग नोवा फेक्ट्री के पास मालनपुर भिण्ड में फरियादी/पीडित के साथ प्रकृति की व्यवस्था के विरुद्ध स्वेच्छया इन्द्रिय भोग किया।
02. यह अविवादित है कि आरोप मुकेश दूध का टेंकर चलाता था एवं फरियादी उस टेंकर में गोहद चौराहे से बैठा था और यह भी अविवादित है कि आरोपी मुकेश ने मालनपुर में होटल में खाना खाया था।
03. अभियोजन प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि फरियादी/पीडित जो कि

ग्राम बनेरी थाना आरौन जिला ग्वालियर का रहने वाला है और ट्रक पर क्लीनरी करता है। वह रामबीर ड्राइवर के साथ ट्रक में झॉसी से बैठकर उरई गया था और उरई से दिनांक 09.01.2009 को ड्राइवर से सौ रूपए लेकर घर बापस आ रहा था। भिण्ड तक वह बस से आया और भिण्ड से गोहद चौराहे तक डम्फर में बैठकर आया था। गोहद चौराहे से दूध के टेंकर में बैठकर मालनपुर गया था जहाँ कि कुईया पर एक होटल पर बैठा था उसी समय दूध टेंकर का ड्राइवर आरोपी मुकेश आया और बोला कि मोबाइल चोरी चला गया है, मुकेश ने उसकी तलाशी ली उसके पास मोबाइल नहीं मिला था। फिर आरोपी मुकेश उसे नोवा फेक्ट्री लेकर पहुँचा और उससे बोला कि कपड़े उतार तो उसने पूरे कपड़े उतार दिए। आरोपी मुकेश ने अपनी पैशाब की लिंगी को जबरदस्ती मुँह में चूसने को कहा तो उसने डर के कारण उसकी लिंगी को चूसा। फिर मुकेश ने उसकी चड्डी उतारी और अपनी लिंगी को उसकी लेट्रिंग करने के रास्ते में घुसा दिसा दिया वह चिल्लाया तो आरोपी ने उसका मुँह बंद कर लिया और आरोपी मुकेश ने उसे नंगा छोड़ दिया। वह नोवा फेक्ट्री के गार्ड वालों के यहाँ गया और उनको पूरी बात बताई तब गार्ड वालों ने मुकेश को बुलाकर 2-4 थप्पड भी मारे और उसके कपड़े दिलवाए। फरियादी ने थाना मालनपुर में आकर उक्त घटना की रिपोर्ट लिखाई जिस पर से अपराध क्रमांक 04/2009 धारा 377 भारतीय दण्ड विधान का पंजीबद्ध किया कर विवेचना में लिया गया और विवेचना के दौरान घटना स्थल का नक्शा मौका बनाया गया, साक्षियों के कथन लेखबद्ध किए गए, फरियादी का चिकित्सीय परीक्षण कराया गया एवं उसके कपड़े आदि की जप्ती की गई एवं आरोपी को गिरफ्तार किया गया और उसका भी चिकित्सीय परीक्षण कराया गया। सम्पूर्ण विवेचना उपरांत अभियोगपत्र विचारण हेतु न्यायालय में पेश किया गया जो कि कमिटल उपरांत माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय के आदेशानुसार निराकरण हेतु इस न्यायालय को प्राप्त हुआ है।

04. आरोपी के विरुद्ध प्रथम दृष्टिया धारा 377 भारतीय दण्ड विधान का आरोप पाए जाने से उसे लगाकर पढाकर सुनाया गया आरोपी ने जुर्म अस्वीकार किया उसकी प्ली लेखबद्ध की गई।

05. धारा 313 दं.प्र.सं. के प्रावधानों के अनुसार अभियुक्त का परीक्षण किया गया। अभियुक्त परीक्षण में अभियुक्त ने स्वयं को निर्दोश बताया और उसे झूठा फंसाया गया होना अभिकथित किया। उसने बताया कि उसका मोबाइल आरोपी ने चोरी कर लिया था जिससे बचने के लिए उसके द्वारा झूठी रिपोर्ट की गई है। बचाव में बचाव साक्षी मुन्नासिंह ब0सा0 1 एवं बबलू ब0सा0 2 के साक्ष्य कराई है।

06. अभियुक्त के विरुद्ध आरोपित अपराध के संबंध में विचारणीय है कि—

1. क्या दिनांक 10.01.2009 के सुबह तीन बजे या उसके लगभग नोवा फेक्ट्री के पास मालनपुर में आरोपी के द्वारा फरियादी के साथ प्रकृति की व्यवस्था के विपरीत स्वेच्छया इन्द्रीय भोग किया है?

// निष्कर्ष के आधार //

7— घटना का फरियादी अ0सा0 2 ने अपने साक्ष्य में आरोपी को पहिचानना स्वीकार करते हुए बताया है कि वह रामबीर झाइवर के साथ ट्रक पर काम करता था और उसके साथ क्लीनरी करता था। गोहद आकर उसका किराया खत्म हो गया था। फिर वह आरोपी मुकेश जो कि दूध का टेंकर चलाता था उसके साथ गोहद चौराहे से बैठा था। रास्ते में मुकेश ने कहा कि उसका मोबाइल चोरी हो गया है। आरोपी मुकेश ने मालनपुर में होटल पर खाना खाया और वह वही बैठा रहा फिर आरोपी ने फेक्ट्री में जाकर कहा कि उसका मोबाइल चोरी हो गया। मुकेश चार पांच अन्य लोगों को लेकर आया और उसकी मारपीट की और उसे फेक्ट्री की ओर नाले के तरफ ले गया। आरोपी मुकेश ने उसका पेंट खोला और उसकी चड़्डी उतारकर उसकी गांड मारी वह चिल्लाया तो फेक्ट्री वाले आ गए उन्होंने उसे बचाया और फिर फेक्ट्री वालों ने उसे उसके कपड़े दिलवाए, फेक्ट्री वालों ने पुलिस को बुलाया था पुलिस उसे थाने ले गई जहाँ उसने घटना की रिपोर्ट प्र.पी. 3 लिखाई थी जिस पर ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं फिर अस्पताल में उसका मेडीकल परीक्षण हुआ था। पुलिस ने घटना स्थल पर आकर घटना स्थल का नक्शा मौका प्र.पी. 4 बनाया था जिस पर ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं।

8— अभियोजन की ओर से प्रस्तुत अन्य साक्षी बालकिशन अ0सा0 4 जो कि घटना के समय नोवा फेक्ट्री में गेट पर गार्ड के रूप में सिक्योरिटी ड्यूटी पर होना बताते हुए अपने साक्ष्य कथन में आरोपी की पहिचान करते हुए यह बताया है कि रात को ढाई तीन बजे के समय एक लडका नंगा आया था उसने बताया था कि मुकेश ने उसके साथ बुरा काम किया है और उसके कपड़े उतार लिये हैं। उसके बाद आरोपी मुकेश को उसने और धर्मेन्द्र चौहान जो कि अन्य सिक्योरिटी गार्ड था ने पकड़ लिया था और उस लडके को कपड़े दिलवाए थे तथा पुलिस को फोन किया था।

9— साक्षी धर्मेन्द्र सिंह चौहान अ0सा0 3 ने भी आरोपी को पहिचाना है तथा यह बताया है कि नोवा फेक्ट्री में सुरक्षा गार्ड के रूप में था और बालकिशन उसके साथ गनमेन था। घटना जो कि 6-7 साल पहले की है। रात को एक बालक उनके पास आया था और बालक ने उससे कहा था कि मुकेश ने उसके साथ बुरा काम किया है उसके साथ

बलात्कार किया है। इसके बाद वह चाय लेने चला गया था। उक्त साक्षी के द्वारा पुलिस को दिए गए कथनों का समर्थन न करना देखते हुए पक्षद्रोही घोषित किया गया है।

10. डॉक्टर जी.आर.शाक्य अ0सा0 1 जो कि सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र गोहद में मेडीकल ऑफीसर के पद पर पदस्थ था जिन्होंने फरियादी एवं आरोपी मुकेश का परीक्षण किया था। आरोपी मुकेश के परीक्षण में उन्होंने आरोपी को संभोग करने योग्य होना पाया था एवं उसके वीर्य की स्लाइड तैयार की गई थी और चड्डी जप्त की गई थी इस संबंध में रिपोर्ट प्र.पी. 1 पर अपने हस्ताक्षर होना स्वीकार किया है। आहत के परीक्षण में उन्होंने आहत की गुदा के बाहरी या अंदरूनी भाग में कोई चोट के निशान एवं कोई खून नहीं देखना बताया है और अभिमत में सोडोमी के लक्षण न पाना अभिकथित किया है।

11. साक्षी हरनारायण अ0सा0 5 तत्कालीन प्र0आर0 लेखक थाना मालनपुर ने चड्डी जो कि आरोपी मुकेश की और उसकी स्लाइड और शीलनमूना की जप्ती कर जप्ती पत्रक प्र.पी. 6 तैयार करना बताया गया है।

12. प्रकरण की प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखक एवं विवेचक सुरेश शर्मा अ0सा0 6 जो कि दिनांक 10.01.09 को थाना मालनपुर में ए.एस.आई के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को फरियादी की रिपोर्ट के आधार पर कि आरोपी मुकेश ने उसके साथ जबरदस्ती बुरा काम किया है प्रथम सूचना रिपोर्ट 04/ 09 धारा 377 भारतीय दण्ड विधान का लेखबद्ध किया था जो कि प्र.पी. 3 है जिस पर बी से बी भाग पर हस्ताक्षर होना स्वीकार किया है। उक्त दिनांक को फरियादी की निशानदेही पर घटना स्थल का नक्शा मौका प्र.पी. 4 तैयार करने तथा फरियादी एवं साक्षीगण के कथन लेखबद्ध करने और आरोपी मुकेश की गिरफ्तारी कर गिरफ्तारी पंचनामा प्र.पी. 7 तैयार करना तथा फरियादी एवं आरोपी को मेडीकल हेतु भेजना बताया गया है।

13. घटना के फरियादी/पीडित अ0सा0 2 के न्यायालय में हुए मुख्य परीक्षण के कथन का प्रतिपरीक्षण उपरांत जहाँ तक प्रश्न है। प्रतिपरीक्षण कंडिका 5 में बताया है कि वह आरोपी को घटना के पहले से नहीं जानता था। वह टेंकर में बैठकर मालनपुर गया था और मालनपुर में होटल पर रुक गया था। इस बात को स्वीकार किया है कि आरोपी मुकेश खाना खाने चला गया था। स्वतः में बताया है कि उसके साथ वह भी ढाबा पर गया था और वह वहाँ बैठा था। खाना खाने के पहले उसके साथ कोई मारपीट नहीं हुई थी। जब वह मालनपुर गया था तब उसके व ड्राइवर के अलावा 3-4 लोग और बैठे थे। मालनपुर होटल में 12-01 बजे के बीच में पहुँचे थे। होटल पर करीब 3 घण्टे बैठा रहा था। कंडिका 6 में बताया है कि 4-5 लोग आरोपी मुकेश के अलावा आए थे और उसे यह कहकर मार रहे थे

कि हमारा मोबाइल चोरी किया है। मोबाइल आरोपी मुकेश अपना होना कह रहा था। मारपीट की घटना होटल पर हुई थी और उसे उठाकर फेक्ट्री की ओर हाथ पकड़ कर ले गए। इस सुझाव से इंकार किया है कि उसके साथ कोई घटना घटित नहीं हुई एवं इस सुझाव से भी इंकार किया है कि आरोपी मुकेश ने उससे किराया मांगा था। स्वतः मैं कहा कि उसने पहले ही उसे बता दिया था कि उसके पास किराया नहीं है। इस सुझाव से इंकार किया है कि आरोपी ने उसकी गांड नहीं मारी थी और फेक्ट्री वालों से मिलकर मिलकर पुलिस को गलत कहानी बताई है और आरोपी को झूठा फसाया है।

14. घटना का फरियादी जो कि घटना का पीड़ित भी है और जिसके साथ लैगिंग अपराध से संबंधित घटना घटित हुई है। उक्त साक्षी के प्रतिपरीक्षण उपरांत उसके कथनों में कोई भी गंभीर या तात्त्विक प्रकार का विरोधाभास या विसंगति या लोप आना दर्शित नहीं होता जिससे कि उक्त साक्षी की विश्वसनीयता प्रभावित होती है। साक्षी के द्वारा घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट जो कि घटना दिनांक को घटना के पश्चात् दर्ज कराई गई थी जो कि प्र.पी. 3 है जिसमें स्पष्ट रूप से उसके साथ हुई घटनाक्रम के बारे में बताया है। यद्यपि साक्षी ने न्यायालय में हुए कथन में 4-5 लोगों के द्वारा आकर उसके साथ मारपीट करने का तथ्य बताया जा रहा है जो कि प्रथम सूचना रिपोर्ट और उसके पुलिस में दिए गए कथन में नहीं है। किन्तु मात्र इस आधार पर कि साक्षी उसके साथ हुई उक्त लैगिंग घटना के पूर्व 4-5 अन्य लोगों के द्वारा जो कि आरोपी के अतिरिक्त थे उसके साथ मारपीट करना बता रहा है और उसके बाद उसको फेक्ट्री की तरफ ले जाकर आरोपी मुकेश के द्वारा उसके साथ घटना घटित करना बता रहा है तो मात्र उक्त आधार पर साक्षी का सम्पूर्ण कथन बनावटी या अविश्वसनीय होना नहीं माना जा सकता।

15. जहाँ तक आरोपी की पहिचान का प्रश्न है, साक्षी ने आरोपी की पहिचान न्यायालय में स्पष्ट रूप से की गई। उक्त साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में इस बात को स्वीकार किया है कि वह आरोपी को घटना के पहले से नहीं जानता था जो कि स्वाभाविक रूप से उसके द्वारा इस संबंध में कथन किए गए हैं। आरोपी फरियादी के साथ 3-4 घण्टे से अधिक समय तक रहा है और उसके साथ ढाबे पर भी काफी देर तक बैठा रहा है। ऐसी दशा में यदि उक्त फरियादी के द्वारा आरोपी की पहिचान स्पष्ट रूप से की जा रही है जिससे कि आरोपी की घटना में मौजूदगी स्पष्ट है। इस संबंध में यह भी उल्लेखनीय है कि स्वयं बचाव पक्ष के द्वारा कंडिका 5 में यह सुझाव दिया गया है कि आरोपी मुकेश खाना खाने चला गया था तो साक्षी के द्वारा यह स्वीकार करते हुए बताया है कि वह भी उसके साथ ढाबा पर गया था और वहीं पर बैठा था। उक्त तथ्य भी आरोपी के घटना स्थल पर मौजूद होने की

पुष्टि करता है।

16. फरियादी/पीडित के द्वारा आरोपी को किसी रंजिश व अन्य किसी कारण से झूठा लिप्त किया जा रहा है अथवा उसके विरुद्ध झूठे कथन किए जा रहे हैं, ऐसा भी मानने का कोई आधार नहीं है। आरोपी की फरियादी से किसी प्रकार की पूर्व की रंजिश होना कहीं प्रमाणित नहीं है। मात्र इस आधार पर कि मोबाइल चोरी के संबंध में फरियादी का आछेप लगाया जा रहा था आरोपी को उसके द्वारा झूठा लिप्त किया जाने का आधार नहीं हो सकता। साक्षी को बचाव पक्ष के द्वारा यह सुझाव दिया गया है कि फेक्ट्री वालों से मिलकर उसने पुलिस को गलत कहानी बतायी और उसके द्वारा आरोपी को झूठा फंसाया गया है जिस सुझाव को साक्षी ने गलत बताया है।

17. फरियादी/पीडित के कथन का समर्थन अभियोजन साक्षी बालकिशन अ0सा0 4 के कथन से भी होता है जिसके द्वारा यह बताया गया है कि घटना दिनांक को नोवा फेक्ट्री में ड्यूटी के दौरान करीब ढाई-तीन बजे एक लडका नंगा आया था और उसने बताया था कि मुकेश ने उसके साथ बुरा काम किया है और उसके कपड़े उतार दिए हैं। मुकेश भी वहाँ पर आ गया था और मुकेश को पकड़ कर उस लडके के कपड़े दिलाए थे। प्रतिपरीक्षण में साक्षी को प्रतिरक्षा अभिभाषक के द्वारा पूछे जाने पर उसने स्पष्ट बताया है कि लडके ने उससे कहा था कि मुकेश ने उसकी गांड मारी है। उक्त साक्षी ने यद्यपि उसके सामने कोई बुरा काम न होना बताया है जो कि स्वभाविक रूप से साक्षी के द्वारा कथन किया गया है। साक्षी घटना का चक्षुदर्शी साक्षी नहीं है, बल्कि उसे घटना के तुरंत पश्चात् पीडित के द्वारा उसके साथ हुई घटना के बारे में बताया गया है और उसने पीडित को नंगी अवस्था में बिना कपड़ों के देखा गया है। इसके अतिरिक्त उसने आरोपी को भी उसी समय घटना स्थल पर आ जाना बताया है। इस प्रकार घटना के तुरंत पश्चात् वर्तमान साक्षी को पीडित के द्वारा घटना के बारे में बताया गया है तथा उसने पीडित को नग्न अवस्था में देखा है। इस सुझाव से साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में साफ इंकार किया है कि आरोपी को झूठा फंसाने के लिए उसके विरुद्ध झूठे कथन कर रहे हैं। ऐसी दशा में उक्त साक्षी के कथन के आधार पर फरियादी के कथन एवं अभियोजन प्रकरण की सम्पुष्टि होनी पाई जाती है।

18. अभियोजन की ओर से प्रस्तुत अन्य साक्षी धर्मेन्द्र सिंह चौहान अ0सा0 3 जो कि नोवा फेक्ट्री का अन्य सुरक्षागार्ड है उसके द्वारा भी अपने साक्ष्य में यह बताया है कि रात के समय एक बालक उसके पास आया था और उस बालक से पूछा गया तो उसने बताया कि मुकेश ने उसके साथ बुरा काम किया है। यद्यपि शेष तथ्य के बारे में अभियोजन प्रकरण का समर्थन उक्त साक्षी के द्वारा नहीं किया गया है जिस कारण अभियोजन के द्वारा

उसे पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रकार के प्रश्न पूछे गये हैं, किन्तु मात्र इस आधार पर कि उक्त साक्षी अभियोजन के द्वारा पक्षद्रोही घोषित किया गया है उसके सम्पूर्ण साक्ष्य कथन को दरकिनार किये जाने का कोई आधार नहीं हो सकता है। **इस संबंध में माननीय न्यायालय के द्वारा तूफान सिंह विरुद्ध स्टेट ऑफ़ एम.पी. 2005(1) एम.पी.एल.जे. 412** में यह अभिधारित किया गया है कि पक्षद्रोही साक्षी की साक्ष्य को पूरी तरह अनदेखी नहीं किया जा सकता, यदि उसकी साक्ष्य का कुछ भाग अभियोजन मामले का समर्थन करता है और वह भाग सही नहीं होना पाया जाता है तो उस पर विश्वास किया जा सकता है। ऐसी दशा में उक्त साक्षी धर्मन्द्र अ0सा0 3 के कथन से भी इस बात की पुष्टि होती है कि घटना के पश्चात् फरियादी/पीडित के द्वारा उसे यह जानकारी दी गई है कि आरोपी ने उसके साथ अप्राकृतिक लैंगिक कृत्य कर बुरा काम किया है।

19. जहाँ तक प्रकरण में आई हुई चिकित्सीय साक्ष्य का प्रश्न है। चिकित्सक डॉक्टर जी.आर.शाक्य अ0सा0 1 के द्वारा अपने कथन में यह बताया है कि पीडित की जाँच करने पर उन्होंने सोडोमी के कोई लक्षण नहीं पाए थे और उसकी गुदा के भाग की जाँच करने पर उसमें कोई चोट के निशान नहीं पाए गए थे, किन्तु मात्र इस आधार पर कि चिकित्सक के द्वारा आहत की गुदा के आंतरिक एवं बाहरी भाग में कोई चोट के निशान नहीं पाए गए हैं, उक्त तथ्य अभियोजन प्रकरण के संबंध में कोई विपरीत अवधारणा करने का आधार नहीं हो सकता है। इस प्रकार के लैंगिक अपराधों के मामलों में उसकी पुष्टि किसी चिकित्सीय साक्ष्य से हो यह आवश्यक भी नहीं है।

20. आरोपी के संभोग करने में सक्षम होने का जहाँ तक प्रश्न है इस संबंध में चिकित्सक डॉक्टर जी.आर. शाक्य के द्वारा स्पष्ट रूप से बताया गया है कि परीक्षण में आरोपी को संभोग करने योग्य पाया गया है। इन्द्रिय संभोग का कृत्य आरोपी के द्वारा स्वेच्छया पूर्वक कार्य करते हुए किया जाना भी आई हुई साक्ष्य एवं प्रकरण के तथ्यों व परिस्थितियों से स्पष्ट है।

21. प्रकरण के प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखक एवं विवेचना अधिकारी उपनिरीक्षक सुरेश शर्मा अ0सा0 6 ने अपने साक्ष्य कथन में घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र. पी. 3 लेखबद्ध कराना बताया है तथा घटना स्थल का मानचित्र प्र.पी. 4 फरियादी की निशानदेही पर बनाया था और फरियादी व अन्य साक्षी बालकिशन और धर्मन्द्र के कथन लेखबद्ध किए गए थे व चिकित्सीय परीक्षण हेतु फरियादी एवं आरोपी को भेजा गया था। विवेचना अधिकारी के प्रतिपरीक्षण उपरांत उसके कथन में कोई भी विपरीत तथ्य नहीं आए हैं। विवेचना अधिकारी के द्वारा यद्यपि यह स्वीकार किया गया है कि फरियादी के कपडे उतार कर

उसकी चोटे नहीं देखी थी, किन्तु मात्र इस आधार पर कि उसके द्वारा फरियादी के शरीर की चोटों को नहीं देखा था इस संबंध में विपरीत अवधारणा किए जाने का कोई आधार नहीं है। विवेचना अधिकारी के द्वारा फरियादी पक्ष से मिलकर अथवा आरोपी से किसी रंजिश या पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर विवेचना की कार्यवाही की गई है ऐसा मानने का भी कोई आधार नहीं है।

22. बचाव पक्ष के द्वारा अपने बचाव में मुख्य रूप से यह आधार लिया गया है कि आरोपी को फरियादी के द्वारा नोवा फेक्ट्री के सुरक्षा गार्डों से मिलकर गलत आधार लेकर झूठा फसाया गया है। इसके अतिरिक्त अपने तर्क में उनके द्वारा यह बताया है कि फरियादी के साथ अप्राकृतिक कृत्य होने की सम्पुष्टि किसी चिकित्सीय साक्ष्य के आधार पर नहीं हुई है एवं पीडित के शरीर पर कोई चोट चिकित्सक द्वारा पानी नहीं बताई गई है। पीडित के अतिरिक्त अन्य किसी भी समुचित साक्ष्य के आधार पर अभियोजन प्रकरण की सम्पुष्टि नहीं हुई है। फरियादी के कथनों में विरोधाभास एवं विसंगति आई है जिससे उसके कथन विश्वसनीय नहीं हैं, मात्र फरियादी के कथन पर विश्वास कर आरोपी को दोषसिद्ध नहीं ठहराया जा सकता। बचाव में बचावपक्ष की ओर से बचाव साक्षी मुन्ना सिंह व0सा0 1 और बबलू व0सा0 2 के कथन कराए गए हैं।

23. उपरौक्त संबंध में विचार किया गया। सर्वप्रथम फरियादी के साथ अप्राकृतिक कृत्य होने के संबंध में एवं उसके शरीर पर कोई चोट के निशान न पाए जाने के संबंध में चिकित्सक के द्वारा दिये गये अभिमत का जहाँ तक प्रश्न है, मात्र इस आधार पर कि चिकित्सक के द्वारा फरियादी के शरीर पर कोई चोट के निशान नहीं पाए थे, इस संबंध में अभियोजन प्रकरण को विपरीत मानने का कोई आधार नहीं हो सकता है। इस संबंध में **प्रेमप्रकाश विरूद्ध स्टेट ऑफ हरियाणा ए.आई.आर 2011 एस.सी. 277** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा यह प्रतिपादित किया गया है कि फरियादी के शरीर पर चोट न पाए जाने या उसके निजी अंगों पर कोई चोट न पाए जाने के आधार पर फरियादी के कथन तथा प्रकरण की विश्वसनीयता पर कोई प्रश्नचिन्ह नहीं उठाया जा सकता। इसी प्रकार **दस्तगीर साहब विरूद्ध स्टेट ऑफ कर्नाटक 2004(3) एस.सी.सी. 106** में भी यह प्रतिपादित किया गया है कि फरियादी के शरीर पर कोई चोट मौजूद होना बलात्कार के आरोप को प्रमाणित करने के लिए अनिवार्य तत्व नहीं है।

24. बचावपक्ष की ओर से लिया गया अन्य आधार कि फरियादी के अतिरिक्त अन्य किसी भी स्वतंत्र साक्षी के द्वारा घटना का समर्थन नहीं किया गया है और ऐसी दशा में मात्र फरियादी के कथन पर विश्वास नहीं किया जा सकता, उसकी सम्पुष्टि

किसी समुचित साक्ष्य से होना आवश्यक है। इस संबंध में विचार किया गया। वर्तमान घटना का पीडित जो कि अप्राकृतिक लैंगिक हमलों के अपराधों का पीडित पक्षकार है। लैंगिक अपराध के मामलों में यदि फरियादी का कथन विश्वास योग्य पाया जाता है तो उसके साक्ष्य की सम्पुष्टि आवश्यक नहीं है। इस प्रकार के पीडित की स्थिति सहअपराधी की नहीं है, बल्कि उसकी स्थिति आहत साक्षी के समान होती है, जैसा कि इस संबंध में **श्रीनारायण शाह विरुद्ध त्रिपुरा (2014)7 एस.सी.सी. 775 एवं विजय उर्फ चीनू विरुद्ध स्टेट ऑफ़ एम.पी.(2010)8 एस.सी.सी. 391 उल्लेखनीय है।** माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा **स्टेट ऑफ़ केरला विरुद्ध किरीसुम मोटिल एन्थोनी(2007)1 एस.सी.सी. 627** में यह अभिधारित किया गया है कि लैंगिक हमलों के अपराधों में जिसमें धारा 377 भारतीय दण्ड विधान भी शामिल है, उसमें पुष्टि की आवश्यकता न होने का नियम लागू होता है।

25. बचाव पक्ष के द्वारा लिया गया यह आधार कि फरियादी के कथनों में बढा-चढाकर तथ्य बताये जा रहे हैं जो कि उसके कथन में विरोधाभास एवं विसंगति आने से उसके कथन विश्वास योग्य मानते हुए आरोपी को दोषसिद्ध नहीं ठहराया जा सकता। इस संबंध में विचार किया गया। फरियादी के कथनों में उसके प्रतिपरीक्षण उपरांत कोई भी विरोधाभास या बिसंगति तात्त्विक प्रकार की होनी नहीं कही जा सकती। इस संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा **राधू विरुद्ध स्टेट ऑफ़ एम.पी. (2007) सी.आर.एल. जे. 704 में** यह अभिधारित किया गया है कि फरियादी के कथनों में आई हुई छोटी-मोटी कमियाँ या विरोधाभास के आधार पर उसके सम्पूर्ण कथन को अविश्वसनीय मानकर उसे खारिज नहीं किया जाना चाहिए।

26. बचाव पक्ष के द्वारा लिया गया अन्य मुख्य आधार कि आरोपी को फरियादी के द्वारा अपराध में झूठा फंसाया गया है जो कि बचाव पक्ष के द्वारा यह बताया गया है कि नोवा फेक्ट्री के सुरक्षा गार्ड से आरोपी का विवाद हो जाने के कारण उनके द्वारा फरियादी से मिलकर के आरोपी को झूठा लिप्त किया गया है। इस संबंध में बचाव पक्ष की ओर से प्रस्तुत बचाव साक्षी मुन्ना सिंह व0सा0 1 एवं बबलू व0सा0 2 के कथन कराए हैं। उक्त दोनों ही साक्षियों ने एक समान सा कथन करते हुए बताया है कि वे घटना दिनांक को आरोपी के दूध के टेंकर में बैठकर उसके साथ मालनपुर आए थे और फरियादी भी उसी टेंकर में बैठकर आया था। मालनपुर में होटल में रुककर उन्होंने खाना खाया था, इस दौरान फरियादी होटल पर ही बैठा था और आरोपी गाड़ी लेकर नोवा फेक्ट्री की तरफ चला गया था। रास्ते में आरोपी ने अपना मोबाइल देखा तो उसका मोबाइल नहीं मिला फिर वापस आकर

उस लडके को गाडी में बिठाकर फेक्ट्री ले गए थे। फेक्ट्री गार्ड ने मोबाइल के वास्ते उनकी तलाशी ली थी। मुकेश और फेक्ट्री के गार्डों का मुँहवाद हो गया था। गाडी को खाली करने के लिए वहाँ लगा दिया था। सुबह पांच बजे पुलिस वाले आरोपी को बिठालकर ले गए थे।

27. बचाव साक्षी मुन्ना सिंह व0सा0 1 तथा बबलू व0सा0 2 के कथन का जहाँ तक प्रश्न है। उक्त दोनों ही साक्षी आरोपी के गाँव के ही रहने वाले हैं और आरोपी के द्वारा ही उन्हें बचाव साक्षी के रूप में बुलाया गया है। यह उल्लेखनीय है कि उक्त दोनों ही साक्षीगणों के द्वारा पूर्व में पुलिस के समक्ष उपस्थिति होकर अथवा पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के समक्ष इस आशय का कोई कथन दिया हो या कोई शिकायत की हो कि नोवा फेक्ट्री के गार्ड से विवाद होने के कारण फेक्ट्री के गार्डों के द्वारा आरोपी को झूठा प्रकरण में फंसाया गया है। प्रथम बार उक्त बात को घटना के लगभग 5 साल बाद न्यायालय में अभिकथित कर रहे हैं। यह भी उल्लेखनीय है कि घटना के फरियादी अ0सा0 2 को बचाव पक्ष के द्वारा कहीं भी यह सुझाव नहीं दिया गया है कि मुकेश का घटना के समय फेक्ट्री गार्डों से कोई विवाद हुआ था अथवा फेक्ट्री के सुरक्षा गार्डों द्वारा मोबाइल की कोई तलाशी ली गई थी। बचाव पक्ष के द्वारा बताया गया है कि उक्त दोनों साक्षी मुन्ना सिंह व0सा0 1 एवं बबलू व0सा0 2 आरोपी के साथ फेक्ट्री में गए हैं अथवा उनकी फेक्ट्री में मौजूदगी का तथ्य भी प्रमाणित नहीं हुआ है। निश्चित तौर से जैसा कि उक्त दोनों साक्षीगण आरोपी के गाँव के ही हैं तथा दोनों ही चालक हैं। गाँव का एवं एक ही धंधे से संबंधित होने से उनके द्वारा आरोपी को बचाने हेतु बचाव में उक्त कथन किए जा रहे हैं ऐसा परिलक्षित होता है। ऐसी दशा में बचाव साक्षियों के कथन के आधार पर बचाव पक्ष को कोई लाभ प्रदान नहीं किया जा सकता।

28. उपरौक्त विवेचना एवं विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में प्रकरण में आई हुई अभियोजन साक्ष्य जिसमें फरियादी अ0सा0 2 का कथन जिसकी सम्पुष्टि साक्षी बालकिशन अ0सा0 4 तथा आंशिक रूप से साक्षी धर्मेन्द्र सिंह अ0सा0 3 के कथनों के आधार पर भी हुई है। आरोपी को संभोग करने में सक्षम होना चिकित्सक के द्वारा बताया गया है। आरोपी के द्वारा फरियादी के साथ अप्राकृतिक मैथुन किया गया है जो कि स्वेच्छया पूर्वक उसके द्वारा उक्त अप्राकृतिक कृत्य किया गया। तदनुसार यह प्रमाणित होना पाया जाता है कि घटना दिनांक 10.01.2009 के सुबह 03:00 बजे के लगभग नोवा फेक्ट्री के पास मालनपुर में आरोपी के द्वारा फरियादी के साथ प्रकृति की व्यवस्था के विरुद्ध स्वेच्छया इन्द्रिय भोग किया।

29. अतः आरोपी मुकेश पुत्र रामकिशन के विरुद्ध धारा 377 भारतीय दण्ड विधान का अपराध प्रमाणित होना पाया जाकर उसे दोषसिद्ध ठहराया जाता है।

30. दण्ड के प्रश्न पर सुने जाने हेतु निर्णय अस्थाई रूप से स्थगित किया गया।

(डी0सी0थपलियाल)
अपर सत्र न्यायाधीश
गोहद, जिला भिण्ड

दण्डादेश:-

31. दण्ड के बिन्दु पर आरोपी के विद्वान अभिभाषक को सुना गया। उनका निवेदन है कि आरोपी के विरुद्ध प्रमाणित प्रथम अपराध है। उसका कोई पूर्व का आपराधिक रिकॉर्ड भी नहीं है। आरोपी सन् 2009 से लगातार न्यायालय में उपस्थिति हो रहा है। वह परिवार का एक मात्र कमाने वाला सदस्य है। ऐसी दशा में दण्ड के बिन्दु पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए न्यूनतम दण्ड प्रदान किए जाने का निवेदन किया है।

32. उपरौक्त संबंध में विचार किया गया। आरोपी के विरुद्ध धारा 377 भारतीय दण्ड विधान के अंतर्गत दोषसिद्ध होनी पाई गई है जो कि आरोपी के द्वारा फरियादी के साथ प्रकृति की व्यवस्था के खिलाफ जबरदस्ती अप्राकृतिक मैथुन किए जाने के संबंध में अपराध प्रमाणित हुआ है। उक्त अपराध सामान्य श्रेणी का नहीं है, बल्कि इस प्रकार के अपराध से पूरे समाज की नैतिकता प्रभावित होती है। इस प्रकार के अपराधों में दण्ड अनुपातिक होना माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा भी आपेक्षित की गई है।

33. विचारोपरांत अपराध की प्रकृति एवं प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए आरोपी मुकेश पुत्र रामकिशन को धारा 377 भारतीय दंड विधान के अपराध हेतु सात वर्ष का सश्रम कारावास की सजा एवं 2000/- रूपए (दो हजार रूपए) के अर्थदंड से दंडित किया किए जाने का आदेश दिया जाता है। अर्थदंड अदा न करने पर उसे तीन माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास की सजा भुगताई जाये। आरोप के द्वारा प्रकरण के जाँच, विचारण एवं अनुसंधान के दौरान न्यायिक निरोध में बिताई गई अवधि उसकी मूल सजा में मुजरा की जाये। इस संबंध में धारा 428 दं.प्र.सं. का प्रमाणपत्र तैयार किया जाए।

34. धारा 357(3) दं.प्र.सं. के अंतर्गत पृथक से प्रतिकर स्वरूप फरियादी को 10,000/-रूपए (दस हजार रूपए) प्रतिकर अदा करने का दायित्व भी आरोपी का होगा। उक्त प्रतिकर की राशि जमा होने पर फरियादी को प्रतिकर स्वरूप दिलाई जाए।

35. प्रकरण में जप्तशुदा चड्डी, स्लाइड एवं शील जो कि फरियादी एवं आरोपी से संबंधित है, उसे मूल्यहीन होने से अपील अवधि पश्चात् नष्ट किया जाये। अपील

होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेश का पालन हो।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित
हस्ताक्षरित एवं घोषित किया गया।

सही / -

(डी०सी०थपलियाल)

अपर सत्र न्यायाधीश

गोहद, जिला भिण्ड

मेरे निर्देशन पर टाईप किया गया

सही / -

(डी०सी०थपलियाल)

अपर सत्र न्यायाधीश

गोहद, जिला भिण्ड